5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(157)

(5)

राजस्व पुनरीक्षण क्रं· 2827/2014

पेo ताo 22·01·2019 22-1-19

पुनर्स्थापन-0187/2019/इंदौर/भूराo

मानननीय सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

गंगा बाई -- आवेदक

विरूद्ध

कनीराम व अन्य --- अनावेदकगण

श्री एम० के० नवीन अभि० द्वारा इन्दौर केम्प पर प्रस्तुत। 22-1-19

आवेदन-पत्र-धारा 35(3) मoप्रo भूoराजस्व संहिता के तहत रिस्टोरेशन बाबद ।

आवेदक की ओर से सादर निवेदन है कि :-

(1) यह कि, सदर प्रकरण आज माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत था । जिसमें अनावेदक क्रमांक 01 को रजिo ए·डी· से नोटिस हेतु नियत था ।

(2) यह कि, आवेदक सुनवाई हेतु न्यायालय में लगभग 1·30 बजे उपस्थित हुए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि-प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है जिसे "द्वितीयपक्षीय" सुनवाई में लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आवेदक का विलम्ब का कारण सद्भाविक होकर क्षम्य प्रदान किये जाने योग्य है ।

अत: श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में प्रकरण को द्वितीयपक्षीय सुनवाई हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें । यह विनय है ।

इति, इंदौर

दिनांक 22·1·2019

प्रस्तुतकर्ता

एम के नवीन

आवेदक तर्फे अभिभाषक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन0187/2019/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2019	आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अत: प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष	